प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी।

सेवा में,

1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, मैनपुरी।
3. खण्ड विकास अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, मैनपुरी

दिनांक–03.07.2020

पत्रांक : सीडीओ / कोविड–19 / 2020–21 / 1675-8

विषय : कोविड–19 एवं इसके संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि देश में कोविड–19 वैश्विक महामारी का रूप लिया हुआ है जिसके संक्रमण से पूरा विश्व ग्रसित है। इसके रोकथाम के लिए समय–समय पर केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं जिसमें तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

पूर्व में भी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग व थूकने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी

पत्रांक : सीडीओ / कोविड–19 / 2020–21 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

- राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी।
- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
- समस्त अपर / उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–मैनपुरी।
- अधिशासी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरुष / महिला चिकित्सालय, मैनपुरी।
- चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, समस्त सामुदायिक / प्राथमिक / नगरीय स्वा0 केन्द्र को अनुपालनार्थ।
- जनपद के समस्त कार्यालयों के विभागाध्यक्षों / कार्यालय अधीक्षकों / परिधिगत कार्यालय प्रभारियों को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी